भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *62

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में नए स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र और अस्पताल

***62. श्री यदुवीर वाडियार:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत कर्नाटक में स्थापित किए गए नए स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों और अस्पतालों की कुल संख्या के बारे में कोई आंकड़े मौजूद हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके संचालन से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कर्नाटक में ऐसी विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और स्पेशियलिटी के बारे में क्या जानकारी है जिन्हें पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की गई है;

(ग) पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु विद्यमान कार्यनीतियां क्या हैं; और

(घ) देश में पीएम-एबीएचआईएम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

29 नवम्बर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *62 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

इस योजना में स्वास्थ्य सेवा वितरण और जन स्वास्थ्य कार्रवाई को एकीकृत और मजबूत करने के लिए एक नई पीढ़ी के सुधारों की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों को मजबूत करना है ताकि सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या में निरंतरता लाई जा सके,साथ ही वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

योजना के सीएसएस घटकों के तहत, निम्नलिखित पांच गतिविधियां हैं जहां योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:

- आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र जो अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के नाम से जाने जाते है, के रूप में 17,788 भवन रहित उप-केन्द्रों का निर्माण।
- शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, जिन्हें अब एएएम कहा जाता है, की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्लम और स्लम जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना।
- देश में 730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना,जिसमें प्रत्येक जिले में ऐसी एक प्रयोगशाला होगी।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना।

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मौजूदा कार्य ढांचे,संस्थानों और तंत्रों का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। चूंकि जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है, इसलिए योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पीएम-एबीएचआईएम जन स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक अवसंरचनात्मक विकास योजना है जिसे संबंधित सरकारों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है। वर्तमान में, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए निविदाएं जारी करने, निविदा को अंतिम रूप देने, कार्य सौंपने का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-2025 तक के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 20451.31 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-2025) के लिए पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस के तहत सभी घटकों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई मंजूरी के साथ प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इस योजना के तहत 736 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, 30 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 30 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए योजना अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए 2021.88 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

कर्नाटक राज्य को राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 817 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, 21 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए 1168.71 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

अनुलग्नक-I

चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए राज्यवार अनुमोदन

1. भवन-रहित एएएम (उप- केंद्र - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि के लिए लक्ष्य (वित्त वर्ष 2021-26)	चार वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश		1786	535.80
2	असम	720	768	399.59
3	बिहार	2546	2546	1413.04
4	झारखंड	893	893	495.61
5	मणिपुर	64	64	35.52
6	मेघालय	151	151	83.8
7	ओडिशा	502	604	278.14
8	राजस्थान	821	1112	455.65
9	उत्तर प्रदेश	1670	1670	926.86
	कुल	**7367**	**9594**	**4624.01**

2. शहरी एएएम (यू-एचडब्ल्यूसी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021 -26) के लिए लक्ष्य	चार वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	3.00
2.	आंध्र प्रदेश	45	45	70.25

3.	असम	9	0	0.00
4.	चंडीगढ़	92	19	29.93
5.	दमन और द्वीव	4	3	4.50
6.	दिल्ली*	1139	0	0.00
7.	गुजरात	275	82	44.00
8.	हिमाचल प्रदेश	38	26	39.00
9.	जम्मू और कश्मीर	104	69	97.76
10.	कर्नाटक	736	817	512.05
11.	मणिपुर	3	0	0.00
12.	मिजोरम	1	0	0.00
13.	ओडिशा	47	140	32.20
14.	पुद्दुचेरी	32	21	34.50
15.	राजस्थान	639	371	455.86
16.	तमिलनाडु	436	500	93.00
17.	तेलंगाना	324	500	257.00
18.	उत्तर प्रदेश	674	250	187.50
19.	पश्चिम बंगाल	510	204	153.00
	कुल	**5112**	**3051**	**2013.55**

*** दिल्ली ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**

3. ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
1	असम	207	142	129.66
2	बिहार	333	59	47.77
3	छत्तीसगढ़	91	54	53.79
4	हिमाचल प्रदेश	73	50	51.56
5	जम्मू और कश्मीर	287	200	213.89
6	झारखंड	165	100	99.50
7	मध्य प्रदेश	196	119	106.91
8	ओडिशा	197	119	118.44
9	राजस्थान	184	111	107.29
10	उत्तर प्रदेश	515	311	318.77
11	उत्तराखंड	86	59	52.60
	कुल	**2334**	**1324**	**1300.18**

4. एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	3.75
2	आंध्र प्रदेश	13	23	37.57
3	अरुणाचल प्रदेश	22	14	26.33
4	असम	33	24	36.37
5	बिहार	38	12	15.00
6	चंडीगढ़	1	0	0.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
7	छत्तीसगढ़	28	21	39.49
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	3	0	0.00
9	दिल्ली	11	0	0.00
10	गोवा	2	0	0.00
11	गुजरात	33	24	44.70
12	हरियाणा	22	14	26.32
13	हिमाचल प्रदेश	12	7	12.67
14	जम्मू और कश्मीर	20	14	26.33
15	झारखंड	24	17	30.57
16	कर्नाटक	30	21	39.49
17	केरल	14	10	18.38
18	लद्दाख	2	2	2.50
19	लक्षद्वीप	1	1	1.25
20	मध्य प्रदेश	55	39	60.03
21	महाराष्ट्र	36	25	45.48
22	मणिपुर	15	11	21.11
23	मेघालय	10	7	13.16
24	मिजोरम	10	7	13.16
25	नागालैंड	11	7	13.16
26	ओडिशा	30	21	39.20
27	पुद्दुचेरी	4	3	5.22
28	पंजाब	22	14	26.33
29	राजस्थान	33	24	42.98
30	सिक्किम	3	3	5.22
31	तमिलनाडु	38	28	52.66
32	तेलंगाना	33	24	44.72
33	त्रिपुरा	7	4	6.94

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
34	उत्तर प्रदेश	75	53	103.76
35	उत्तराखंड	13	10	13.48
36	पश्चिम बंगाल	23	17	31.54
	कुल	**730**	**504**	**898.86**

5. क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	23.75
2	आंध्र प्रदेश	13	16	380.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0.00
4	असम	27	17	412.93
5	बिहार	38	12	401.30
6	चंडीगढ़	-	1	23.75
7	छत्तीसगढ़	23	15	425.10
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	1	0	0.00
9	दिल्ली	9	0	0.00
10	गोवा	2	0	0.00
11	गुजरात	32	22	704.01
12	हरियाणा	22	15	425.10
13	हिमाचल प्रदेश	8	4	95.00
14	जम्मू और कश्मीर	9	4	95.00
15	झारखंड	22	15	427.51
16	कर्नाटक	30	21	617.16

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाई	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ में)
17	केरल	14	10	251.27
18	लद्दाख	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	50	35	900.13
21	महाराष्ट्र	36	24	635.85
22	मणिपुर	2	0	0.00
23	मेघालय	2	0	0.00
24	मिजोरम	1	1	23.75
25	नागालैंड	1	0	0.00
26	ओडिशा	28	21	581.40
27	पुद्दुचेरी	3	0	0.00
28	पंजाब	21	17	508.49
29	राजस्थान	33	24	680.99
30	सिक्किम	1	1	23.75
31	तमिलनाडु	37	28	856.52
32	तेलंगाना	31	21	581.40
33	त्रिपुरा	1	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	74	49	1915.35
35	उत्तराखंड	7	4	95.00
36	पश्चिम बंगाल	22	17	530.19
	कुल	**602**	**395**	**11614.71**

*****